संoसंo—9/आo—09—05/2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डाo गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ** के पदस्थापन काल में दिनाक—29.05.2023 से 13.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डाo गौरव कुमार** के विरूद्ध अनुबध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन **डाo अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—9, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डाo कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वें सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वय उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हo/—
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आo—09—05/2024(स्वाo)........................../ पटना, दिनांक :.......................................

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **डाo अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

हo/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आo—09—05/2024(स्वाo)....................../ पटना, दिनांक :......................................

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु / **डाo गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ को** आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सिविल सर्जन, पूर्णियॉ से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

हo/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आo—09—05/2024(स्वाo) 294(9) **/ पटना, दिनांक :** 21.3.25

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/03/2025

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापन

संoसंo–9 / आo–09–05 / 2024(स्वा0) 716(9) / पटना, दिनांक 09.08.24

सिविल सर्जन, पूर्णियॉ के पत्रांक–568 दिनांक–13.03.2024 के प्रतिवेदन में डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया के विरूद्ध दिनांक–29.05.2023 से लगातार कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप से संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र–क) अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, लांछनों का अभिकथन तथा आरोप को सिद्ध करने वाले साक्ष्य / दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए डॉ० कुमार से अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह भी बताएँ की जिन लांछनों को उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है उनकी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है।

3. डॉ० कुमार को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवचार या कदाचार के लांछनों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन अगर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होता है, तब विभागीय जॉच एक पक्षीय उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

4. कृपया इस आरोप पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आo–09–05 / 2024(स्वा0) 716(9) / पटना, दिनांक 09.8.24

प्रतिलिपि–डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया को सूचनार्थ एव आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(9)
09.8.24

आरोप–पत्र

[नियम–17(3) तथा विनियम 3 द्रष्ट्व्य]

(1). प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम	–	डॉ० गौरव कुमार
2. पदनाम	–	चिकित्सा पदाधिकारी
3. जन्म तिथि	–	01.12.1992
4. सेवानिवृति की तिथि	–	30.11.2059
5. सेवा/संवर्ग का नाम	–	बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग
6. पद समूह एवं विभाग	–	'ख'/स्वास्थ्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	–	
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन पर	–	लेवल–9 (9300–34800)
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	–	वर्ष–2023/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णियाँ।

10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि– लागू नहीं।

8/8/24
(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

af

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(9)
09.8.24

(2). द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. सिविल सर्जन, पूर्णियाँ के पत्रांक–568 दिनाक–13.03.2024 के प्रतिवेदन में डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया के विरूद्ध दिनांक–29.05.2023 से लगातार कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।
2. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारित का द्योतक है।

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

af

(15)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

716(9),
09.8.24

(3). तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. डॉ० गौरव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैसा, पूर्णिया दिनांक–29.05.2023 से अवकाश में रहने संबंधी आवेदन सिविल सर्जन, पूर्णियॉ के समक्ष समर्पित किया गया जो नियमानुकूल न होने के कारण सिविल सर्जन, पूणियॉ के कार्यालय पत्रांक–1308 दिनांक–05.06.2023 द्वारा अस्वीकृत करते हुए कार्य स्थल पर योगदान करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु डॉ० कुमार द्वारा अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने पर दिनांक–29 05 2023 से लगातार कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।
2. आपके कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण संस्थान मे चिकित्सीय सुविधा बाधित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार आमजनों को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। आपके इस कृत्य से राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है।
4. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एव स्वेच्छाचारित का द्योतक है।

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

af

716(9)
09.8.24

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(4). चतुर्थ भाग–(क) दस्तावेजों की सूची
(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०सं०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमौर के पत्रांक–254 दिनांक–05.06.2023	कुल 3 पृष्ठ
2.	सिविल सर्जन, पूणियाँ के कार्यालय पत्राक–1308 दिनांक–05.06.2023 एवं 2917 दिनांक–13.12 2023	कुल 2 पृष्ठ

कुल 05 पृष्ठ

(ख) साक्षियों की सूची

(नाम एवं पदनाम):–~~शून्य~~
सिविल सर्जन, पूर्णियां

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

af

पत्रांक 254

प्रेषकः— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामु0 स्वा0 केन्द्र, बैसा,पूर्णियाँ।

2916
06/06/23

सेवा में,

अरौनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णियाँ।

बैसा दिनांक 05/06/2023

विषयः-- डा0 गौरव कुमार चिकित्सा पदाधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र,बैसा द्वारा नियमानुकुल छुट्टी का आवेदन नहीं देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि डा0 गौरव कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी) द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। अवकाश का आवेदन उचित नियमों के पालन के बेगर वह मेडिकल Leave पर चले गए है जब की भवदीय के नाम होना चाहिए प्रभारी के नाम छुट्टी किया गया है। Proper Channel द्वारा अवेदन नहीं है। एवं डाक से भेज दिया है जिसकी सूचना श्रीमान् को दी जा रही है। एवं आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

5/6/23

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सामु0स्वा0 केन्द्र,बैसा पूर्णियाँ।

डा० महेश प्रसा
सह-प्राध्यापक (आर्थो)
पी० एम० सी० एच०

PATNA MEDICAL

Patient Name
S/D/W of
Age/Sex
Department
Address

Compulsion

Consult on OPD after 1 ...

1

प्रा० स्वा० केन्द्र [illegible]

विषय - चिकित्सीय सलाह अनुसार ३ माह के मेडिकल leave हेतु आवेदन पत्र।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं [illegible] कुमार Laboratory Technician, प्रा० स्वा० केन्द्र [illegible] में कार्यरत हूँ। मुझे पिछले महीनों से बुखार है [illegible] को परामर्श लिया उन्होंने मुझे ३ माह का Complete Bed rest एवं दवा लेने का परामर्श दिया।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे ३ माह का Medical leave दी जाय ताकि मैं अपने स्वास्थ्य [illegible] निर्वहन कर सकूँ। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

विश्वासी [illegible]
[illegible] Kumar
[illegible]
[illegible]
प्रा० स्वा० केन्द्र [illegible]

प्रभारी
S10 [illegible]
29/5/23
[illegible]
C. S. Sir [illegible]
C/ [illegible]
1/6/23

प्रेषक,

डा० अभय प्रकाश चौधरी,
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक 1[illegible]/12/23

विषय--- लंबी अवधि से अनुपस्थित चिकित्सक पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी लम्बी अवधि से अनुपस्थित है, जिस कारण चिकित्सीय कार्य प्रभावित हो रहे है

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	[illegible]	पदस्थापन स्थान का नाम	अनुपस्थित तिथि	अभ्युक्ति
1	डा० अनिर्बाण [illegible]	विशेषज्ञ चिकित्सक	अनु०अस्प० [illegible]	[illegible]03.2023 से लगातार	इस कार्यालय के [illegible] दिनांक 06.06.23 के द्वारा [illegible] विभाग को प्रतिवेदित
2	डा० अभिषेक कुमार	विशेषज्ञ चिकित्सक	अनु०अस्प० धमदाहा	18.10.2022 से लगातार	इस कार्यालय के [illegible] दिनांक 03.02.2023 [illegible] दिनांक 31.05.23 के द्वारा [illegible] विभाग को प्रतिवेदित
3	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible] पूर्णिया [illegible] पूर्णिया [illegible] कसमन्दा	24.04.2001 से लगातार	स्वास्थ्य विभागीय [illegible] पत्रांक 593 (9) दिनांक 06.06.20[illegible] द्वारा [illegible]
4	[illegible]	[illegible] चिकित्सक	[illegible]	19.07.2023 से लगातार	इस कार्यालय के [illegible] दिनांक 06.11.23 के द्वारा [illegible] विभाग को प्रतिवेदित
5	डा० मुर्तजा अली	विशेषज्ञ चिकित्सक	अनु०अस्प० धमदाहा	22.07.2023 से लगातार	इस कार्यालय के पत्रांक 2226 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा [illegible] विभाग को प्रतिवेदित
6	डा० [illegible]	[illegible] चिकित्सक	सामुदायिक स्वा० केन्द्र [illegible]	29.05.2023 से लगातार	
7	[illegible]	[illegible] चिकित्सक	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र [illegible]	[illegible].09.2021 से लगातार	स्वा० विभागीय [illegible] (9) दिनांक [illegible] [illegible] परन्तु अद्यतन [illegible] इनके द्वारा प्रथम [illegible] प्रतिवेदन नहीं [illegible]
8	डा० [illegible] अशरफ अली	विशेषज्ञ चिकित्सक	अनु० अस्प० धमदाहा	08.08.2021 से लगातार	स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या [illegible] (9) दि० 17.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित
9	डा० [illegible] रहमान	[illegible] चिकित्सक	अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, [illegible], बी०कोठी	28.12.2003 से लगातार	स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या [illegible] (9), दि० 17.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित
10	डा० शकील जावेद	विशेषज्ञ चिकित्सक	प्रा०स्वा०केन्द्र, धमदाहा	17.12.2021 से लगातार	स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या [illegible] (9) दि० 17.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त अनुपस्थित सामान्य / विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के आलोक में सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाय तथा [illegible] रिक्त मानते हुए नये चिकित्सकों की पदस्थापन करने की कृपा की जाय। ताकि चिकित्सीय [illegible] बाधित नही हो सके।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक [illegible] दिनांक 05/04/23

प्रेषित,

[illegible]
चिकित्सा [illegible]
स्थायी पता
पिता – श्री सूर्य कुमार सिंहा
ग्राम– खोखसी टोला मझुआ
पो0– खोखसी सरनपुर
थाना– [illegible] जिला मधेपुरा

विषय – अवकाश [illegible] अस्वीकृति के संबंध में

उपर्युक्त [illegible] दिनांक 02.06.2023 को [illegible] प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन [illegible] करने का अनुरोध किया गया [illegible] के सम्पूर्ण [illegible] नहीं।

अतः [illegible] जनहित में अस्वीकृत किया [illegible] ही योगदान करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा भेज दी जायगी।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, [illegible]